न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 05/10 राजस्व विविध

स्टेट ऑफ राजस्थान

–प्रार्थी

: बनाम :

मघाराम पुत्र श्री चेतनराम जाति जाट निवासी चक 5 के.पी.एम. तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी स्टेट की तरफ से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री भागीरथ मान उपस्थित।

: आदेश : दिनांक 13.01.2020

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 के तहत प्रकरण संख्या 100/94 राजस्व विविध अनवांनी राजस्थान सरकार बनाम मघाराम में दिनांक 12.9.96 को निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय में संशोधन हेतु अप्रार्थी मघाराम द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रार्थीपक्ष को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

2. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई स्मालपेच आवंटन को नियम विरूद्ध मानते हुए निर्णय दिनांक 12.9.96 द्वारा आवंटन खारिज कर दिया गया। निर्णय में टंकण गलती की वजह से अप्रार्थी मघाराम को उक्त आवंटन चक 5 के.पी.एम. के मुरब्बा नम्बर 107/41 के किला नम्बर 11 ता 15 में 5 बीघा भूमि को भी उक्त आदेश में शामिल कर दिया गया। वकील अप्रार्थी की यह भी बहस है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.9.96 के अंतिम पैरा नम्बर 4 में हुई टंकण त्रुटि चक 5 के.पी.एम. के मुरब्बा नम्बर 107/41 किला नम्बर 4 से 7, 16 से 18, 23 से 25 = 9.14 बीघा संशोधन आवंटित चक 5 के.पी.एम. के मु.नं. 107/41 के किला नम्बर 11 ता 15 में 5 बीघा भूमि टंकण भूल की वजह से राजस्व रेकर्ड में रकबा राज करदी गई है को अप्रार्थी मघाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में पुख्ता आवंटन दर्ज करने के आदेश फरमावें। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार फरमाया जा कर प्रार्थना–पत्र अंदर मियाद शुमार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3. इसके खण्डन में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कथन किया कि इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 12.9.96 द्वारा अप्रार्थी मघाराम को दिनांक 05.01.87 को दो अलग–अलग आदेशों के जरिये स्माल पेच में 9.14 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। उसे ही न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध मानते हुए निरस्त किया गया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अप्रार्थी के द्वारा धारा 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जहांतक अप्रार्थी द्वारा धारा 152 सी.पी.सी. के अंतर्गत यह प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने का बिन्दु है, इस संबंध में अप्रार्थी मघाराम की और से मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ है। इस प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अप्रार्थी मघाराम द्वारा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उसके काउन्टर में स्टेट की और से कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत ना होने के कारण प्रकरण अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 112/87 के अनुसार अप्रार्थी को स्माल पेच में चक नम्बर 5 के.पी.एम. के मु.नं. 107/41 के किला नम्बर 11-17 में 2 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्बर 18 में 1 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 23 से 24 में 2.14 बीघा अनकमाण्ड कुल 5.14 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 05.5.87 द्वारा आवंटित की गई थी। इसी प्रकार पत्रावली संख्या 113/87 के अनुसार अप्रार्थी को स्माल पेच में चक नं. 5 के.पी.एम. के मु.नं. 107/41 के किला नम्बर 4 ता 7 की 4 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन आदेश दिनांक 05.5.87 द्वारा अप्रार्थी को आवंटित की गई थी। इन दोनो स्मालपेच आवंटनों के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय में नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के अंतर्गत विचारण होकर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.9.96 द्वारा उपर्युक्त स्माल पेच में अप्रार्थी को आवंटित हुई कुल 9.14 बीघा भूमि नियम विरूद्ध मानते हुए निरस्त की गई है। इस निर्णय के पैरा संख्या 4 में टंकण गलती की शुद्धि हेतु हम यह उचित समझते है कि तहसीलदार (रा) छत्तरगढ पुख्ता आवंटन व उससे सम्बन्धित अन्य रिकार्ड की सुक्ष्म जांच कर रिकार्ड के आधार पर नियमो के परिपेक्ष्य में शुद्धि की कार्यवाही कर रिकार्ड दुरूस्त करे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटाई जावे।

6. आदेश आज दिनांक **13.01.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर